सभी को मिलेगा बराबर मौका, नियमों व मर्यादाओं से चलेगा सदन : देवनानी

विधानसभा में सर्वदलीय बैठक में अध्यक्ष का लंच ब्रेक का सुझाव, सभी दलों की सहमति

जयपुर। सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के द्वितिय सत्र की बैठकें बुधवार से आरम्भ होंगी। इससे पहले मंगलवार को विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधान सभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई। देवनानी की राजस्थान विधान सभा में सदन चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन एक ऐतिहासिक पहल है। देवनानी ने सदन को शांतिपूर्ण चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की है।

इस दौरान कई सुझाव आए उनमें से बैठक में सदन में पहले से चल रही पर्ची पर बोलने की व्यवस्था को फिर से लागू किये जाने। समितियों की रिपोर्ट पर बहस कराये जाने, महत्वपूर्ण मुद्दों को शून्यकाल से पहले अध्यक्ष के ध्यान में लाने और अधिकारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित किये जाने के सुझाव भी आये।

देवनानी ने कहा कि सदन की कार्यवाही को आम जनता देखती है। प्रदेश की जनता से चुनकर आये जनप्रतिनिधिगण अपने आचरण और व्यवहार को जन आकांक्षाओं के अनुकूल प्रस्तुत करें, ताकि विधान सभा का नाम रोशन हो सके। देवनानी ने कहा है कि विधान सभा सदन नियमों व मर्यादाओं से चलेगा। उन्होंने सभी दलों से सदन को शांतिपूर्वक चलाने में सहयोग करने और सार्थक बहस में अपनी बात समय सीमा में रखने के लिए कहा। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा।

विधानसभा के सत्र की बैठक से पहले मंगलवार को अधक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली सहित अन्य दलों के नेता मौजूद थे।

विधान सभा का सदन अधिक से अधिक दिन चले इसके लिए सभी दलों के सभी सदस्यों को सकारात्मक सोच रखनी होगी। उन्होंने कहा कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सोलहवीं विधान सभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों की है।

देवनानी ने बैठक में मध्यान्ह भोजन अन्तराल के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोक सभा की तर्ज पर विधान सभा में भी भोजन अन्तराल का निश्चित समय तय किया जा सकता है। इससे एक ही समय पर सभी विधायक भोजन कर सकेंगे और उसके बाद पुनः सदन में सभी सदस्य कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। देवनानी के इस प्रस्ताव पर बैठक में मौजूद सभी दल के प्रतिनिधियों ने इसे अच्छी पहल बताते हुए सहमति व्यक्त की। अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि प्रथम सत्र के 2054 प्रश्नों में से 92 प्रतिशत प्रश्नों के जवाब विधान सभा को प्राप्त हो गये है। अब 177 प्रश्नों के जवाब आना शेष है। देवनानी ने कहा कि यह शुभ लक्षण है। शेष रहे प्रश्नों के जवाब भी विधान सभा को शीघ्र प्राप्त होने की उम्मीद है। बैठक में तय किया गया कि नया सत्र आरम्भ होने से पहले गत सत्र के सभी प्रश्नों के जवाब विधान सभा को आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए।

विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि सभी दलों को चर्चा के लिए नियमानुसार समय आवंटित किया जायेगा। समय सीमा में ही सदस्य अधिक से अधिक अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि यह दलों के नेताओं कि जिम्मेदारी होगी कि उनके दल का सदस्य सदन में अपनी बात को आवंटित समय में ही रखने का प्रयास करे। देवनानी ने कहा कि सभी सदस्यगण शालीनता से मुद्दे उठाये। देवनानी ने कहा कि यह सदन जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने का पवित्र स्थल है। इस स्थल की गरिमा को बनाएँ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। इसके लिए यदि सदन को देर तक चलाने की आवश्यकता होगी तो सदन को देर तक चलाया जायेगा। उन्होनें कहा कि समस्याओं का हल बातचीत से होता है। सदन में समस्याओं के निस्तारण का प्रयास होगा। यहां पर सदस्यों की बातों को गम्भीरता से लिया जायेगा। उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं का निस्तारण भी कराया जायेगा।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आश्वस्त किया कि प्रतिपक्ष सदन संचालन में सहयोग करेगा। प्रतिपक्ष के सदस्य सदन में मर्यादापूर्ण व्यवहार से अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि सदन में रखी गयी बातों को सरकार गंभीरता से ले। सदन चलाने की जिम्मेदारी पक्ष के साथ प्रतिपक्ष की भी है।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विधान सभा में अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की यह ऐतिहासिक पहल है। सदन संचालन में इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। उन्होनें बैठक में उपस्थित होने वाले पक्ष व प्रतिपक्ष के नेता का आभार ज्ञापित किया।

बैठक में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, बसपा के मनोज कुमार, भारत आदिवासी पार्टी के थावर चन्द और रालोद के डॉ. सुभाष गर्ग भी मौजूद थे।

राहुल गांधी और कांग्रेस का चरित्र हिंदु विरोधी : भजनलाल शर्मा

- 'हिंदुओं को हिंसक, असत्यवादी और नफरती कहकर एक समुदाय विशेष को खुश करना चाह रहे राहुल गांधी'
- 'नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नहीं है सदन की परंपरा और नियमों की जानकारी'

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदु धर्म और हिंदुओं पर की गई घृणास्पद टिप्पणी पर पलटवार किया। इस दौरान मंच पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, भाजपा प्रदेश सह-प्रभारी विजया राहटकर, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ और प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के बहुसंख्यक हिंदु समाज को हिंसक, असत्यवादी और नफरती कहकर 125 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया है। राहुल गांधी को देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया और लगातार तीसरी बार भी उनकी लॉंचिंग फेल रही। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी का पहला भाषण ही झूठ निराशा और तथ्यहीन बातों से भरा हुआ था। अपने पूरे भाषण में राहुल गांधी ने अभिभाषण पर एक शब्द तक नहीं बोला, चर्चा के दौरान उन्होने केवल और केवल झूठ ही बोला। राहुल ने अपने भाषण में हिंदुओं का घोर अपमान किया और हिंदु समाज को नफरती, हिंसक और झूठा बताया जो कि पूरी तरह निंदनीय और दयनीय है।

शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की नीति रही है कि तुष्टिकरण की नीति अपनाकर वोटों का ध्रुवीकरण कर सके। कांग्रेस के नेता सदैव हिंदु समाज के खिलाफ बोलेते रहे हैं। वर्ष 2010 में तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने और वर्ष 2013 में तत्कालीन गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जयपुर में हिंदुओं को भगवा आतंकवादी बताया जिसके बाद उन्हे माफी मांगनी पड़ी थी। संसद में बार बार ईश्वर के चित्रों को सामने रखना और इस पर राजनीति करना एक नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। भजनलाल शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को यह नहीं पता कि हिंदु कौन है? हिंदु वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला और सर्वे भवंतु सुखिन सर्वे संतु निरामया की कामना करने वाला होता है। जीव प्रकृति जड़ चेतन में ब्रहम का साक्षात्कार करने वाला धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सदभाव हो, विश्व का कल्याण हो ऐसे मंत्र को जीने वाला हिंदु प्राण मात्र में ईश्वर का वास देखता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी संसद में भगवान शिव की तस्वीर दिखा रहे थे जिसे वे तो महज पांच-सात साल से ही देखने लगे हैं। जबकि हिंदु परिवार में जन्मा बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक भगवान शिव की तस्वीर को अपने सीने में बसाकर रखता है, इसलिए किसी भी हिंदु को उनसे प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी ने तो सांसद पद की शपथ तक बिना ईश्वर के ली थी, अपनी ओछी राजनीति और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिये हिंदुओं को गाली देना राहुल गांधी और कांग्रेस की आदत बन चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राहुल गांधी के अग्निवीर योजना पर की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि अग्निवीर योजना में शहीदों को मुआवजा नहीं मिलने की बात कहकर राहुल गांधी ने अग्निवीर सैनिकों का अपमान किया है। संसद में अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी के झूठ की पोल खोलते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अग्निवीर शहीद के परिजनों को एक करोड़ रूपये की राशि दी जाती है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता तो बन गये, लेकिन उन्हे सदन की परंपरा और नियमों की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होने लोकसभा अध्यक्ष पर भी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की जो कि लोकतंत्र में बेहद गलत और दुःखद है। राहुल ने किसानों और अयोध्या पर भी झूठ बोला इससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने झूठ की दुकान खोल रखी है।

'गौ तस्करी में जब्त वाहनों को लंबे समय तक नहीं छोड़ने पर पुनर्विचार किया जाए'

जयपुर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह गौ तस्करी के मामले में जब्त वाहनों को लंबे समय तक नहीं छोड़ने पर पुनर्विचार करे। इन वाहनों को छोड़ने के बदले कलक्टर पूरी राशि जमा शर्त रखते हैं। अदालत ने कहा कि इन वाहनों को लंबे समय तक थाने में रखने से न केवल वाहन मालिक को नुकसान होता है, प्रदेश को राजस्व की हानि भी होती है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश रामेश्वर व अन्य की चार याचिकाओं पर दिए।

अदालत ने गौ तस्करी कानून के तहत कलक्टर को सुनवाई के लिए सक्षम माना, लेकिन ऐसे वाहनों को लंबे समय तक जब्त रहने से राजस्व को होने वाले नुकसान के आधार पर राज्य सरकार से कानून पर पुनर्विचार करने को कहा है। याचिकाओं में भरतपुर, झालावाड़ और ब्यावर में कलक्टरों के गौ तस्करी में जब्त वाहनों को नहीं छोड़ने को चुनौती दी थी। कलक्टरों ने राजस्थान दुधारू पशु अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का हवाला देकर वाहन मालिकों के वाहन की कीमत जमा कराने पर ही वाहन छोड़ने की शर्त लगा दी थी। याचिकाओं में कहा गया कि वन अधिनियम में भी वाहन जब्त करने का प्रावधान है, लेकिन वन अधिकारी की अपील पर किए गए निर्णय को रिवीजन के जरिए न्यायालय में चुनौती देने का प्रावधान है।

सोने की शुद्धता और मानकों की जानकारी के लिए चलेगा अभियान

जयपुर, (का.सं.)। सोने एवं सोने से बने आभूषणों में शुद्धता-मानकों में गड़बड़ी की सूचना/शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपभोक्ताओं के सार्वकालिक हितों को सुरक्षित करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने भारतीय मानक ब्यूरो और उपभोक्ता मामले विभाग को समन्वय के साथ काम करते हुए राज्य व्यापी उपभोक्ता जागृति अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

उपभोक्ता मामले मंत्री गोदारा ने कहा कि आम उपभोक्ता सोने की शुद्धता, गुणवत्ता, मानक एवं हॉलमार्किंग से अनभिज्ञ होने के कारण सोने और उससे बने आभूषणों की खरीद में बड़े स्तर पर शोषण का शिकार हो रहा है। इसे रोकने के लिए प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों से यथा इलेक्ट्रोनिक, प्रिन्ट-सोशियल मीडिया पर व्यापक अभियान चलाया जाना आवश्यक है।

गोदारा के निर्देशों के पश्चात उपभोक्ता मामले विभाग एवं भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा कार्य योजना बनायी जा रही है। इसी क्रम में दोनों विभागों के संयुक्त तत्वावधान में 9 जुलाई को एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत तथा भारतीय मानक ब्यूरो की क्षेत्रीय निदेशक, कनिका कालिया ने संयुक्त रूप से बताया कि भारत सरकार ने सोने के आभूषणों पर वर्ष 2021 से

हॉलमार्क लागू कर दिया है। इससे हॉलमार्क किये हुए आभूषण ही जेवरातियों द्वारा बेचे जा सकते हैं। हॉलमार्किंग शुद्धता की गारंटी देता है। प्रमुख शासन सचिव, भास्कर ए सावंत ने जानकारी देते हुए बताया कि हॉलमार्किंग वाले आभूषणों को खरीदते समय भारतीय मानक ब्यूरो का लोगो और केरेट के साथ 6 अंको का अल्फान्यूमेरिक कोड अवश्य जांचे।

भारतीय मानक ब्यूरो की निदेशक, कालिया ने बताया कि उपभोक्ता स्वर्ण आभूषण खरीदते समय बीआईएस के रजिस्ट्रेशन की जांच करने के साथ उसका पक्का बिल अवश्य लें। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सोने की शुद्धता की जांच किये जाने हेतु राज्य में 92 हॉलमार्किंग सेन्टर है। प्रमुख शासन सचिव, भास्कर ए सावंत ने बताया कि उपभोक्ताओं से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-6030 पर पंजीकृत करायी जा सकती है।

फर्जी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट देने वाले आरोपी को जमानत नहीं

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम- एक, महानगर द्वितीय ने विदेशी महिला को हीरे के स्थान पर सस्ता पत्थर बेचने से जुड़े मामले में फर्जी लैब रिपोर्ट देने वाले आरोपी नंदकिशोर वाल्मीकि की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी ने बिना नापतोल और बिना उचित मशीनों से जांच के बिना फर्जी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट जारी की। जिसके चलते विदेशी महिला को करीब 4.50 करोड रुपए की हानि हुई है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रार्थी को मामले में झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में उसका नाम भी नहीं है। प्रार्थी द्वारा जो डायमंड को जांचा गया था, वह सही था और प्रार्थी ने उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की थी। ऐसे में उसे जमानत पर यह किया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ने अन्य आरोपियों से मिलीभगत कर फर्जी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट जारी की है।

भाजपा विधायक दल की बैठक में एकजुट रहने की रणनीति बनी

- बैठक में कई मुद्दों पर बनीं सहमति

जयपुर। विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री हाऊस में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी।

बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी विधायको को सदन में एकजुट रहने, विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब देने, विधायको को तैयारी के साथ सदन में आने, सरकार की अब तक की उपलब्धियों पर अपडेट रहने, मंत्रियों के जवाब के वक्त सदन में उनका साथ देने, तथ्यों के साथ अपनी बात रखने और विधानसभा में फिर से शुरू हुई पर्ची से मुद्दे उठाने की व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सत्र के दौरान हां पक्ष लॉबी में हर मंगलवार को विधायक दल की बैठक आयोजित करने का भी फैसला किया गया है। विधायक दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने और एनडीए की सरकार आने पर उनका अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी विधायकों, मंत्रियों को मुख्यमंत्री हाऊस में डिनर भी दिया। बैठक में भाजपा के चुनाव प्रभारी रहे विनय सहस्त्रबुद्धे, सहप्रभारी विजया राहटकर भी मौजूद रहीं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा प्रदेश के बाहर दौरे और निजी कारणों से बैठक में नहीं आ सके।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम कमला चौधरी जन्म दिनांक 01.04.1960 से बदलकर कमला देवी जन्म दिनांक 05.06.1960 पत्नी श्री चंद चौधरी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे निवासी आर-11, सेक्टर-2, विद्याधर नगर, जयपुर

मैं धनराज मीना पुत्र स्व. श्री लल्लू राम मीना निवासी ग्राम कोरडा कलां, गुमानपुरा, दौसा। मैंने मेरा नाम धनराज मीना से बदलकर धनराज कोरड़ा रख लिया है भविष्य में मुझे धनराज कोरडा के नाम से जाना जावें।

(My old Name) Shankhala Ankit Gopal lal S/o Gopal form Svami Vivekanand Conoli Gunawati Makrana change (New Name) Ankit S/o Gopal

I have changed my name from Ujjwal Jain to Ujjawal Jain r/o 13, vishnupuri tonk road durgapura Jaipur.

I Chhotu Ram S/o Shree Chatararam R/o Village-Bijaura, Teh-Kuchaman City, Dist. Didwana Kuchaman, Rajasthan have changed My Name from Chotu Ram Balai to Chotu Ram in my passport for all future purposes.

खोया पाया

मेरे मकान 15/73 मालवीय नगर के मूल डोकोमेंट अलॉटमेंट लेटर एवं अन्य मालवीय नगर जयपुर में कहीं गिर गये है। मिलने पर सूचित करें- 7042828210 परमजीत कौर।

मेरे प्लॉट जी-20 कनक वाटिका विस्तार गांव शिवदासपुरा, तहसील चाकसू, टोंक रोड जयपुर का मूल सोसायटी पट्टा जयपुर में कहीं गिर गया है। मिलने पर सूचित करें-हमेश भागचंद सेठ मो. 9929996000

दी जयपुर वालमिकी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना दधीची नगर के प्लाट नम्बर ए-135 के मूल साईड प्लान व रसीद कहीं गुम हो गई है मिलने पर सूचित करें उचित ईनाम देय है-गीता देवी-9414889978

दी जयपुर वालमिकी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना दधीची नगर के प्लाट नम्बर सी-181 के मूल समिति द्वारा जारी साईड प्लान कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें उचित ईनाम देय है-गीता देवी-914889978

मेरे प्लॉट नंबर 85 ऋषभ वाटिका सांगानेर जयपुर का मूल पट्टा हसनपुर-ए-गृह निर्माण सहकारी समिति का मूल पट्टा व रसीद साईड प्लान कहीं खो गए है मिलने पर सूचित करें- श्रीमती पोनी देवी-9602234584

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है मेरी अभिभाष्या सुश्री हौली (पुराना नाम) पुत्री स्वर्गीय श्री केशव सिंह रावत, निवासी प्लॉट नम्बर ए-2 मधुवन कॉलोनी, किसान मार्ग, टोंक रोड, जयपुर ने आज से लगभग पास वर्ष पूर्व अपना नाम परिवर्तन करके अपना नया नाम सुश्री सीमा रावत पुत्री केशव सिंह रावत रख लिया था। परन्तु भूलवश मेरी अभिभाष्या ने परिवर्तित नये नाम को सर्व साधारण को सूचित नहीं कर पायी थी। अत मेरी अभिभाष्या नये नाम अर्थात सुश्री सीमा रावत पुत्र श्री केशव सिंह रावत के नाम से जाना जावें तथा किसी सरकारी या गैर सरकारी अभिलेखों में मेरी अभिभाष्या का पुराना नाम (हौली पुत्री श्री केशव सिंह रावत) अंकित हो उसे नये नाम सुश्री सीमा राव पुत्री श्री केशव सिंह रावत पढा जावें। मेरी अभिभाष्या यह उद्घोषणा पूर्ण होशोहवास सत्य भाव एवं ईश्वर को साक्षी मानकर कर रही है और इसमें कोई भी संदेहास्पद एवं मिथ्या तथ्य सम्मिलित नहीं है। ईश्वर मेरी अभिभाष्या की सहायता करें।
जयपुर (विनोद गौड़) एडवोकेट
दिनांक-02.07.2024 मो. 9829684533

नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
(ए. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर) आयोजना प्रकोष्ठ
क्रमांक : एफ-13 () उपा.आयोजना/जनरि/2024/36 दिनांक : 16.04.2024
सार्वजनिक विज्ञप्ति
विषय :- राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2010 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति।
नगर निगम, जयपुर में निम्न वर्णित भूखण्ड धारक ने कॉलम 4 में वर्णित मास्टर विकास योजना 2025 (जयपुर रीजन) में निर्धारित भू-उपयोग का कॉलम 5 में वर्णित भू-उपयोग हेतु आवेदन किया है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	आवेदक का नाम, भूखण्ड संख्या योजना का नाम	भूखण्ड का क्षेत्रफल व उपयोग	मास्टर प्लान (2025) अनुसार भू-उपयोग	आवेदक द्वारा चाहा गया भू-उपयोग
1	2	3	4	5
1.	श्री तुषार शर्मा पुत्र श्री सतीश चन्द्र शर्मा भू.सं. 10 व 11, नन्द विहार (माधव नगर भू.नि.प्र.द्वि.), जयपुर	633.28 व.ग. (आवासीय)	मिश्रित	मिश्रित

यदि किसी व्यक्ति/संस्था को उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की अवधि तक अपनी आपत्ति/सुझाव कारणों सहित नगर निगम ग्रेटर जयपुर के आयोजना शाखा में प्रस्तुत कर सकते हैं।
रूकमणी रियाड़ (IAS), आयुक्त नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को (नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 52/2024
चूंकि कि डा. रामेश्वर दयाल शर्मा कार्यवाहक प्रन्यासी ने पंजीकृत प्रन्यास डा दयाल संस्थान ट्रस्ट जेएमसी/3, दयाल हॉस्पीटल, पुरानाघाट, खानियां आगरा रोड, जयपुर जिसका पंजीयन कमांक 103 जयपुर 2010 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजानिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अंतर्गत प्रन्यास की बैठक कर प्रन्यास में प्रन्यासियो के त्याग पत्र देने के कारण उनका नाम प्रन्यास विलेख से हटाने व नवीन प्रन्यासियो को मनोनीत कर उनके नाम प्रन्यास विलेख में जोड़ने, प्रन्यास में किये गये संशोधनों को प्रन्यास अभिलेख में दर्ज रिकार्ड कराने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 2/7/24 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी गया।
आइदा तारीख पेशी 6/8/24
3127 / 2/7/24 आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम), देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 49/2024
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री जगदीश शर्मा प्रन्यासी प्रन्यास श्री रामप्रताप सांवरिया बालाजी सेवा ट्रस्ट आर.जी. 37 आवासीय कॉलोनी रामचन्द्रपुरा औद्योगिक क्षेत्र, तहसील सांगानेर जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 58 जयपुर 2022 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास में अस्थायी न्यासी श्रीमती मनभर देवी शर्मा में अनुपस्थित रहने एवं त्याग पत्र दिये जाने के कारण उनके नाम प्रन्यास विलेख से हटाने तथा न वीन प्रन्यासियों श्री रामप्रवेश दास महाराज श्री हरिशंकर दास महाराज श्री सरयुदास महाराज एवं श्री रामदर्शन दीक्षीत की नियुक्ति कर नवीन पदाधिकारियो/प्रन्यासियों की नियुक्ति कर नवीन सदस्यों के नामो को कार्यालय रिकार्ड में दर्ज अभिलेख कराने का निवेदन कर जां किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 मे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे उपर्युक्त प्रन्यास मे हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियो के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध मे आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले मे निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 31.07.2024
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
मोहर अदालत

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 179/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि शोभा सोनी पुत्री श्री राजन कुमार सोनी निवासी 136 कृष्णा कॉलोनी, रामगढ मोड, जयपुर-302002 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत आशाये फाउण्डेशन प्रयास पता- मकान नं. 3, वार्ड नं. 1, अम्बिकाश्वर मंदिर के पीछे, सागर रोड, आमेर जिला जयपुर-302028 ने राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियो के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध मे आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले मे निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 29.07.2024
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
मोहर अदालत

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 232/24
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम दिनकर किशोर नेगी पुत्र आनन्द सिंह नेगी जाति राजपूत निवासी प्लाट नं. 434 टी स्टेट बंजारावाला देहरादूर उत्तराखण्ड हाल निवासी 1/6 खण्डेलवाल टॉवर विद्याधर नगर सेक्टर नं. 1 जयपुर विवाद स्थान-
मृतक श्रीमती अनामिका नेगी की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 06.07.2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय मे इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम श्रीमती अनामिका नेगी पुत्री दिनकर किशोर नेगी जाति राजपूत निवासी 1/6 खण्डेलवाल टॉवर, एसएफ सं.-1, विद्याधर नगर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 06 माह 07 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 24 माह 05 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैंशन न्यायालय
जयपुर महानगर-द्वितीय
मोहर अदालत

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 03/24
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी पंकज माथुर पुत्र स्व. रघुराज बिहारी माथुर जाति... विवाद स्थान प्लाट संख्या 14, कल्याण नगर-5 नये बगले के पीछे टोंक रोड सांगानेर जयपुर-302011
मृतक स्वर्गीय उमा माथुर की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 19.07.2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/